म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन,
तृतीय ब्लॉक, अरेरा हिल्स मदर टेरेसा मार्ग, भोपाल (म.प्र.) 462011

क्रमांक 741 MPHIDB 04(1)/तक.शा./मं./2021 भोपाल, दिनांक 4/08/2021

ई–मेल

प्रति,

उपायुक्त,
म.प्र.गृ.नि.एवं अधो.विकास मण्डल
वृत्त– सागर।

विषयः– डॉ. हरिसिंह गौर नगर सागर मे 61.42 एकड भूमि मे से 9.40 एकड भूमि (चतुर्थ फेस) पर विकास कार्य सह भवन निर्माण योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने बावत ।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 1170 दिनांक 26.04.2021।

–––000––

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आपके द्वारा पत्र क्रमांक 1170 दिनांक 26.04.2021 द्वारा योजनांतर्गत डी.पी.आर के परिप्रेक्ष्य में "डॉ. हरिसिंह गौर नगर सागर" में भवनो का निर्माण का कार्य सह 9.40 एकड भूमि (चतुर्थ फेस) पर विकास कार्य निर्माण की प्रस्तावित योजना की निर्माण लागत राशि रू. 2901.54 लाख (प्रोजेक्ट कोड–2021–22–02–15–16–4307) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।योजना अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो का वित्तीय विवरण निम्नानुसार है :–

भवनों की श्रेणी					
क्र	श्रेणी	साईज वर्ग मीटर में	भवन	योजना की निर्माण लागत (लाख में)	कन्टेनजेन्सी, पर्यवेक्षण शुल्क एवं जी.एस.टी. सहित (लाख में)
1	एच.आई.जी.(ए),	9.00 X 15.00	37	2901.54	3293.58
2	एल.आई.जी.(ए)	6.70 X 15.00	17		
3	एल.आई.जी.(बी)	6.70 X 12.00	26		
4	ई.डब्लू.एस.(बी)	3.60 X 9.00	147		
	कुल		**227**	2901.54	3293.58

उपरोक्तानुसार प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन होगी :–

(i) कॉलोनी का नाम– डॉ.हरिसिंह गौर नगर सागर (चतुर्थ फेस)।

(ii) कार्य का नाम – 37 एच.आई.जी.(ए), 17 एल.आई.जी.(ए), 26 एल.आई.जी.(बी), 147 ई. डब्लू.एस.(बी) (कुल–227) भवनो का निर्माण एवं विकास सह 9.40 एकड भूमि (चतुर्थ फेस) पर विकास कार्य।

(iii) वित्तीय स्त्रोत – स्वयं वित्तीय योजना।

AA (L-1)

I.T. (AA संलग्न)

IT cell for uploading on website

(iv) सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना स्पेसीफिकेशन तथा आयटमों में कोई परिवर्तन नही किया जावें। स्ट्रक्चरल डिजाईन सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराना सुनिश्चित करें।

(v) योजना का क्रियान्वयन प्राप्त पंजीयन अनुसार किया जावे।

(vi) योजना अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के 227 भवनो का निर्माण एंव विकास कार्य प्रस्तावित है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

श्रेणी	साईज मीटर में	क्षैत्रफल वर्ग.मी. में	संख्या	कुर्सी क्षैत्रफल (वर्ग.मी.)	अनुमानित विकय मूल्य (लाख में)
एच.आई.जी.(ए),	9.00 X 15.00	135.00	37	125.50	45.89
एल.आई.जी.(ए)	6.70 X 15.00	100.50	17	59.75	22.66
एल.आई.जी.(बी)	6.70 X 12.00	80.40	26	48.24	17.55
ई.डब्लू.एस.(बी)	3.60 X 9.00	32.40	147	20.88	7.77
	कुल		227		

(vii) प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक व्यय नही किया जावे।

(viii) मण्डल के परिपत्र कमांक–5 में वर्णित प्रावधान अनुसार संपत्ति से संबंधित समस्त जानकारियों को विज्ञापन, होर्डिंगस एवं पम्पप्लेटस इत्यादि में आवश्यक रूप से शामिल किया जाये। कोई भी तथ्य गलत उल्लेख करने पर संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(ix) परिपत्र कमांक–08 दिनांक 09.09.2019 के अनुसार ''परियोजना से संबंधित विज्ञापन, विवरण पुस्तिका एवं निर्देशिका, में रेरा एक्ट की धारा–12 के परिप्रेक्ष्य में निर्माण कार्य अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, विकास कार्य, भवन मानचित्र, स्पेसिफिकेशन एवं संपत्ति का कारपेट एरिया (कारपेट एरिया की गणना हेतु रेरा एक्ट–2016 की धारा 2 (क) का संदर्भ लें) एव संपत्ति का बिल्टअप क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए दोनों को शामिल किया जावे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एनआईटी/अभिन्यास में प्रावधानित है। एनआईटी एवं अभिन्यास से हटकर ऐसे कार्यो का उल्लेख न किया जाये, जो कि संबंधित योजना में कराये जाने प्रस्तावित न हो। संबंधित योजना के विज्ञापन अथवा विवरण पुस्तिका में प्रदान की गई जानकारी में कोई भी तथ्य गलत उल्लेख करने पर, आवंटी द्वारा प्रस्तावित योजना से बाहर निकलने की इच्छा रखने पर यदि रेरा द्वारा एक्ट के प्रावधान अनुसार आवंटी द्वारा जमा समस्त राशि निर्धारित ब्याज एवं क्षतिपूर्ति सहित वापस करने बाबत निर्णय पारित किया जाता है, तो इस हेतु संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।'' इन निर्देशो का पालन हो।